

Annexure-II

Form-I
(for linear Projects)
Government of India

Office of the District Collection Mirzapur.

No. 1243/D.L.R.C./F.No-44/Mirzapur

Date 05.03.16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) date 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 8.3581 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Welspul Energy UP Pvt. Ltd. (name of user agency) for water pipeline corridor & approach road (purpose for diversion of forest land) in Mirzapur district falls within jurisdiction of following Village (s).

Name of Gram Sabha	Name of Village	Forest Division	Tehsil	Forest land (in hectare)
Barkachha Khurd	Barkachha Khurd	Mirzapur	Sadar	0.0026
Barkachha Kalan	Barkachha Kalan	Mirzapur	Sadar	0.4829
Hadaura	Gortutawa	Vindham Fall	Marihan	0.4324
Danti	Danti	Marihan	Sadar	3.1043
Danti	Bela	Marihan	Sadar	1.0176
Danti	Dadari Gahira	Marihan	Sadar	1.6883
Darhram	Dadari Khurd	Marihan	Sadar	1.6300
Total -				8.3581

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 8.3581 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-II to annexure-III.
- The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. : As above.

District : Social Welfare officer

जिला सम्मानन अधिकारी
मीरजापुर

Signature

(Full name of Official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
मीरजापुर

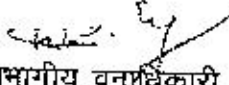
जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

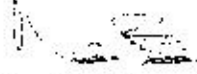
आज दिनांक 05.03.16 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660x2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क राडुक के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 8.3581हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त ग्राम समितियों एवं उपखण्डस्तरीय समितियों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वननिवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई आशंका सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क राडुक के निर्माण हेतु जनपद मीरजापुर में 8.3581हे0 वन भूमि को हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


प्रभागीय वन अधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


जिलाधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य
वसन्त कर्नाड

जिला पंचायत सदस्य
अमरनाथ

जिला पंचायत सदस्य
श्रीधर

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 4.03.2016 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में वेलस्पन एनर्जी ग्रुप लि० द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660×2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए गंगानदी से परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द तक वाटर पाइप लाइन एवं अन्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु हरतान्तरित की जाने वाली 7.9257 हे० वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति, बरकछा खुर्द, बरकछा कलौ, दौली (दौली, बेला, ददरीनाहेरा) व ग्राम समिति दाहिराग (ददरीखुर्द) की बैठक में लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों की वन भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील सदर के अन्तर्गत 7.9257 हेक्टेयर वन भूमि, वेलस्पन एनर्जी ग्रुप लि० की वाटर पाइप लाइन एवं सड़क के निर्माण हेतु हरतान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हरतान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सहायक वन अधिकारी (सी०क०)
(न० वि० वन सहायक)
वि० ख०-सीटी, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हरतान्तरण)

उप जिलाधिकारी
सदर, मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हरतान्तरण)

अनीता देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
सीटी



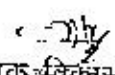
क्षेत्र वन अधिकारी - रा. ग. देवी

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

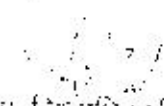
आज दिनांक 22.2.2020 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

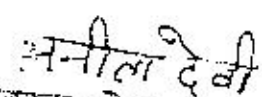
उक्त बैठक में वेलरमन एनर्जी यू0पी0 प्रॉजै0 द्वारा मांग दलदलबुंद, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660X2)मेगावाट की तारपीन विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 0.4324हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में जाग समिति (जोड़टुटवा) की बैठक में लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासियों का उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

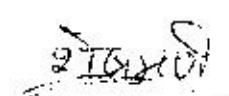
अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि तहसील संकेतान के अन्तर्गत 0.4324हे0 वन भूमि को वेलरमन एनर्जी यू0पी0 प्रॉजै0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सहायक वन अधिकारी (सहक0)
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


उप जिलाधिकारी
संजयनगर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


अनील देवी
सदस्य


सहायक वन अधिकारी (सहक0)

सेल नं-क्षेत्रीय - 2020

कार्यालय

ग्राम सभा-दाढ़ीराम, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०-31, 32 व 74 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

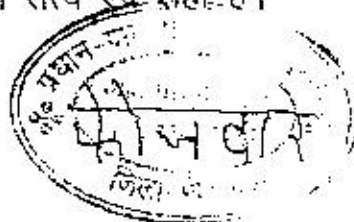
उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीखुर्द की आराजी नं०-31 में क्षेत्र-1.0100हे० आ०नं०-32 में क्षेत्र-0.1700हे० व आ०नं०-74 में क्षेत्र-0.4500हे० योग 3 गाटा रकबा 1.6300हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दाढ़ीराम द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर)
20/05/2020



कार्यवाही रजिस्टर

नियम 36 व 43

रूप पत्र संख्या 8

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
11/01/2016	श्री फौजदार (प्रधान)		आज दिनांक 11-2-2016 को गठन प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	फौजदार
	तिजारी देवी		अनुसार गठन प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	संजु देवी		अध्यक्षता में स्थान प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	राजेश प्रसाद		विषय पर विचार किया गया।	
	नामचंद		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	मन डीला		निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	अशोक कुमार		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	शकुन्तला		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	सुकुमा देवी		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	सोरिता		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	कमलेश कुमार		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	श्रीनन्द कुमार		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	मिर्शी लाल		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	राजेश कुमार		गठन पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	

नोट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सदस्यों के हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

252

नियम 36 व 43

श्री १०८ प्रहारी, नीरजापुर

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

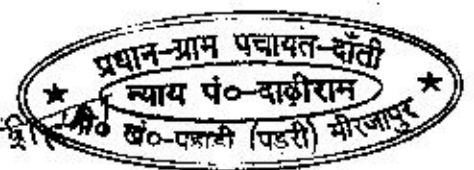
ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-17, 155, 161, 162, 163, 166, 167, 168, में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० की तापीय विद्युत परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर के लिए सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं०-17 में क्षेत्र-0.0036हे०, आ०नं०-155 में क्षेत्र-0.1345हे०, आ०नं०-161 में क्षेत्र-0.0198हे०, आ०नं०-162 में क्षेत्र-0.2049हे०, आ०नं०-163 में क्षेत्र-0.0330हे०, आ०नं०-166 में क्षेत्र-0.0016हे०, आ०नं०-167 में क्षेत्र-0.0200हे०, आ०नं०-168 में क्षेत्र-0.0059हे०, कुल योग 8 गाटा में क्षेत्र-0.4233हे० व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं०-17 में क्षेत्र-0.0135हे०, आ०नं०-155 में क्षेत्र-0.3310हे०, आ०नं०-161 में क्षेत्र-0.0850हे०, आ०नं०-162 में क्षेत्र-0.6180हे०, आ०नं०-163 में क्षेत्र-0.1595हे०, आ०नं०-166 में क्षेत्र-0.0180हे०, आ०नं०-167 में क्षेत्र-0.0270हे०, आ०नं०-168 में क्षेत्र-0.0130हे० कुल योग 8 गाटा में क्षेत्र-1.2650हे० के निर्माण के लिए वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्राम ददरी गहिरा के ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक-03.01.2016

सभा बैठक:-

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या-	प्रस्ताव क्रमांक. 2.3..... चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दौली के ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-17, 155, 161, 162, 163, 166, 167 व 168 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-17 / 0.0036हे0, आ0नं0-155 / 0.1345हे0, आ0नं0-161 / 0.0198हे0, आ0नं0-162 / 0.2094हे0, आ0नं0-163 / 0.0330हे0, आ0नं0-166 / 0.0016हे0, आ0नं0-167 / 0.0200हे0, आ0नं0-168 / 0.0059हे0 व आराजी नं0-17 / 0.0135हे0, आ0नं0-155 / 0.	पारित	प्रधान-ग्राम सभा न्याय पं०-दादी खं०-ए०
2-बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या-				2।प्रमजग
				3- (मील च-द)
				4- अहेन्द्र
				5-
				6-

	एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कब्जा/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	3310हे0, आ0नं0-161/0.0850हे0, आ0नं0-162/0.6180हे0, आ0नं0-163/0.1595हे0, आ0नं0-166/0.0180हे0, आ0नं0-167/0.0270हे0, आ0नं0-168/0.0130हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फॉरेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	7-- ठा.बिचौर 22/04/12 8-जगवती 9- <u>Shrover</u> 10- <u>Shrover</u> 11-
--	---	--	---

प्रति सम्माननीय
प्रमुख, वन विभाग
राजस्थान (पुनः)
जयपुर

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

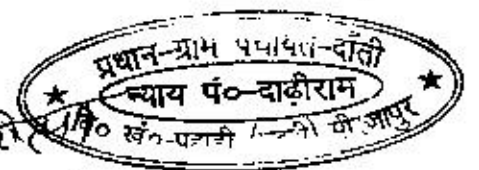
ग्राम-बेला, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-8, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 30 व 30, 8, 7, 3 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बेला की आराजी नं०-8 में क्षेत्र-0.0010हे०, आ०नं०-14 में क्षेत्र-0.0077हे०, आ०नं०-15 में 0.0069हे०, आ०नं०-16 में 0.0259हे०, आ०नं०-20 में क्षेत्र-0.0097हे०, आ०नं०-21 में क्षेत्र-0.0481हे०, आ०नं०-26 में क्षेत्र-0.0027हे०, आ०नं०-28 में क्षेत्र-0.0045हे० आ०नं०-30 में क्षेत्र-0.2274हे० योग 9 गाटा में क्षेत्र-0.3339हे० व आ०नं०-30 में क्षेत्र-0.5378हे० आ०नं०-8 में क्षेत्र-0.0052हे०, आ०नं०-7 में क्षेत्र-0.0013हे०, आ०नं०-3 में क्षेत्र-0.1394हे० कुल योग 4 गाटा में क्षेत्र-0.6837 वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है; अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

सभा बैठक-

दिनांक-3-01-2011

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 0.2.3.....चर्चा वेलस्पन एचजी ग्रामी प्राणलि0 द्वारा तपा-84, ग्राम-ददरीखुर्द, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दोती के ग्राम-बेला, तपा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-बेला तपा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-8/0.0010हे0, आ0नं0-14/0.0077हे0, आ0नं0-15/0.0069हे0, आ0नं0-16/0.0259हे0, आ0नं0-20/0.0097हे0, आ0नं0-21/0.0481हे0, आ0नं0-26/0.0027हे0, आ0नं0-28/0.0045हे0,	पारित	1- प्रधान-ग्राम पंचायत-चौली * न्याय पं०-चांदीराम * वि० बं०-पहड़ी (पहरी) मीरजापुर
2-बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या--				2- र म म ग न
				3- म ल च - 2
				4- म डे 2
				5- 
				6-

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

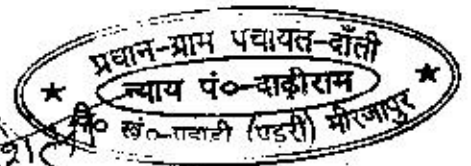
ग्राम-दौंती, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2074 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम दौंती की आराजी नं०-2062 में क्षेत्र-0.2564 हे०, आ०नं०-2034 में क्षेत्र-0.2252 हे०, आ०नं०-2067 में 0.2082 हे०, आ०नं०-2078 में 0.4308 हे०, आ०नं०-2085 में क्षेत्र-0.2749 हे०, आ०नं०-2086 में क्षेत्र-0.0031 हे०, आ०नं०-2087 में क्षेत्र-0.0048 हे०, आ०नं०-2088 में क्षेत्र-0.0056 हे०, आ०नं०-2089 में क्षेत्र-0.3196 हे०, आ०नं०-2074 में क्षेत्र-0.0907 कुल योग 10 गाटा में क्षेत्र-1.8193 हे० व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम दौंती की आराजी नं०-2089 में क्षेत्र-1.0740 हे०, आ०नं०-2074 में क्षेत्र-0.1980 हे०, आ०नं०-2088 में क्षेत्र-0.0130 हे० कुल 3 गाटा में क्षेत्र-1.2850 हे० वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक-- 3-1-2016

सभा बैठक--

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 23..... चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दौती के ग्राम-दौती, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 व 2074 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-दौती तप्पा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-2062/0.2564हे0, आ0नं0-2034/0.2252हे0, आ0नं0-2067/0.2082हे0, आ0नं0-2078/0.4308हे0, आ0नं0-2085/0.2754हे0, आ0नं0-2086/0.0031हे0, आ0नं0-2087/0.0048हे0, आ0नं0-2088/0.0056हे0,	प्रस्ताव पारित	1- प्रधान-ग्राम पंचायत-दौती * न्याय पं०-बाहीराम * को. बि०-पहाड़ी (पडरी) मी०-माधु
2-बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या--				2- 214 मंग
				3- 01/11/14-15
				4- 15/11/14
				5- 15/11/14
				6-

7- 3-1-2019 के अनुसार

8- 5-1-2019 के अनुसार

9- 8-1-2019 के अनुसार

10- 10-1-2019 के अनुसार

11-

तहत आवेदित वन भूमि में आनं0-2089 / 0.3196 हे०, आनं0-2074 / 0.0907 हे० व आराजी नं०-2089 / 1.0740 हे०, आनं०-2074 / 0.1980 हे० आनं०-2088 / 0.0130 हे० वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फॉरेस्ट साइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(Signature)
 अधिकारी (वन) जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख

कार्यालय

ग्राम सभा—हड़ौरा, तहसील—मड़िहान, जनपद—मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम—गोड़दुटवा, (ग्राम सभा हड़ौरा) तप्पा—84, परगना—कंति, तहसील—मड़िहान, जिला—मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०—80, 81, 104, 105, 171 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए भूमिगत वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम गोड़दुटवा की आराजी नं०—80 में क्षेत्र—0.0144हे०, आ०नं०—81 में क्षेत्र—0.1040हे०, आ०नं०—104 में क्षेत्र—0.0233हे०, आ०नं०—105 में क्षेत्र—0.0102हे०, आ०नं०—171 में क्षेत्र—0.2805हे० कुल योग 5 गाटा रकबा 0.4324हे० वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा गोड़दुटवा द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम विकास अधिकारी
पट्टेहरा कंता—मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

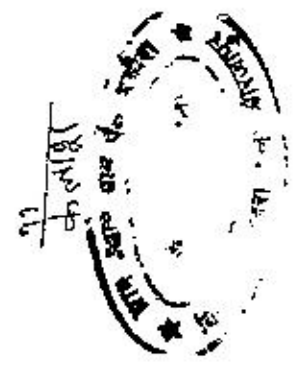
दिनांक--

सभा बैठक--

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 81.....चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम--ददरीखुर्द, तप्पा--84, परगना--कंति, तहसील--सदर, जिला--मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा--हड़ौरा के ग्राम--गोड्डुटवा तप्पा--84, परगना--कंति, तहसील--भड़िहान, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0-80/0.0144हे0 आ0नं0-81/0.1040हे0, आ0नं0-104/0.0233हे0, आ0नं0-105/0.0102हे0, आ0नं0-171/0.2805हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय निकाला गया कि ग्राम--गोड्डुटवा तप्पा--84, परगना--कंति, हसील--भड़िहान, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0-80/0.0144हे0 आ0नं0-81/0.1040हे0, आ0नं0-104/0.0233हे0, आ0नं0-105/0.0102हे0, आ0नं0-171/0.2805हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं	पारित	1- मुखर 2- विजली 3- दिवप्रसाद 4- Khande 5- मोहि कुमार 6- मोहि



	आदिवासी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित कबजा / कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कबजा है अथवा नहीं।	कबजा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफओआरए0)2008 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7- 8- 9- 10- 11-	 21/01/2014 अनुराग पिन्टू अजय
--	--	---	--	------------------------------	---



ग्राम विकास अधिकारी
परदेहरा कल्याण-1, राजापुर

कार्यालय

ग्राम सभा-बरकछा कला, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम बरकछा कला, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०-1177 व 1178 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

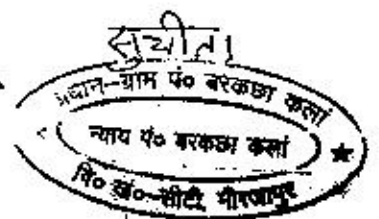
उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा कलों की आराजी नं०-1177 में क्षेत्र-0.2627 व आ०नं०-1178 में 0.2202 हे० योग 2 गाटा रकबा 0.4829 हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा बरकछा कलों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

11/11/2024
बरकछा कला
मीरजापुर



क्र.सं.	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का ह० या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
1	सुचीता (उपान)		आज दिनांक 22/01/2016 को पूर्व सूचना अनुसार एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम बजड़ा कला ग्राम पंचायत में प्रथम 11:00 बजे दिन उपान श्री महि सुचीता के अध्यक्षता में किया गया सोम पूर्ण है।	सुचीता (ग्रामपंचायत)
2	मिनवा (सदस्य)		पिछली बैठक को पत्र-का सुनाया गया सर्वसम्मति से प्रथम की गई।	
3	प्रगवादी ()	1	यदि वैद्यस्यून रुनकी 27/01/2016 को ग्राम बजड़ा कला तापा-84 पलाना कठिर तहसील सदर जिला मीजापुर की आजादी नं० 1177 में से 0.2627 व जराजी नं० 1178 में 0.2202 है, योग 2004 रुका 0.4829 है की आजादी वन भूमि को फोरवार्ड रफ्ट (रज० आ० ०००) 2006 के तहत ओपीडीत भूमि में आदिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कटवा है अथवा नहीं है पर विचार	सुचीता
4	विजयशंकर ()	2	ग्राम बजड़ा कला तापा-84 पलाना कठिर तहसील सदर जिला मीजापुर की आजादी नं० 1177 में से 0.2627 व जराजी नं० 1178 में 0.2202 है, योग 2004 रुका 0.4829 है की आजादी वन भूमि को फोरवार्ड रफ्ट (रज० आ० ०००) 2006 के तहत ओपीडीत भूमि में आदिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कटवा है अथवा नहीं है पर विचार	सुचीता
5	राधेश्याम ()		उपरोक्त सदस्यों एवं ग्रामवासियों के सहस्रप्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान पट्ट निम्नलिखित निम्नलिखित कि ग्राम बजड़ा कला तापा-84 पलाना कठिर तहसील सदर जिला मीजापुर की आजादी नं० 1177 में से 0.2627 व जराजी नं० 1178 में 0.2202 है, योग 2004 रुका 0.4829 है की आजादी वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी का कोई कृषि एवं अन्य कार्य कटवा नहीं है एवं फोरवार्ड रुनका फोरवार्ड	सुचीता
6	जीता ()			
7	मन्ना ()			
8	सुमीर ()			
9	दाशरथी ()			
10	पद्मा ()			
11	देवचंद ()			
12	तारि ()			
13	मोहनलाल ()			
14	अमानाथ ()			

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचे/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचे/सदस्यों का अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
			रूडि एक्ट (1980 आर० ए० 2006) के अन्तर्गत वैधानिक एनर्जी प्रोपर्टी प्रा० लि० द्वारा कटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्व समिति से पारित किया जाता है।	
			अध्यक्ष को प्रस्ताव नहीं लाया गया अतः एव आज भी कार्यवाही समाप्त नहीं जाती है।	
			ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंच वि० ए० सी०, बिरजापुर	

ट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

कार्यवाही रजिस्टर

स्वप पत्र संख्या ४

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंच/सदस्य का नाम
1	2	3	4	5
18/1/06	1. श्रीमान श्री...		...	
	2. श्रीमान...		...	
	3. श्रीमान...		...	
	4. श्रीमान...		...	
	5. श्रीमान...		...	
	6. श्रीमान...		...	
	7. श्रीमान...	1.	...	
	8. श्रीमान...		...	
	9. श्रीमान...	2.	...	
	10. श्रीमान...		...	
	11. श्रीमान...		...	
	12. श्रीमान...		...	
	13. श्रीमान...		...	

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या ४

नियम 36 व 43

क्रमांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	काई गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
			कमलेश्वर जी/ सुश्री वत जनजाति आदिवासी वर्ग आदिवासी का कोई कार्य देना प्रस्ताव नहीं है राय फरक 2-2 फरक 2 राइट 2 फरक 2 फरक 2 20/1/2018 के संतोषित प्रमाण सर्जि सुप्री पाठ्यिक द्वारा रा. 20/1/2018 पाइप लाइन के निर्माण के लिए सूनापनित प्रमाण किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है/ प्रस्ताव सब सम्मत से पारित किया जाता है। म-य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतः आज का काम वाही समाप्त की जाती है।	
			<i>(Signature)</i> नाम पं०... ति० ख० सीटी, मिर्जापुर <i>(Signature)</i> नाम पं०... ति० ख० सीटी, मिर्जापुर	

कार्यालय

ग्राम सभा—बरकछा खुर्द, तहसील—सदर, जनपद—मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

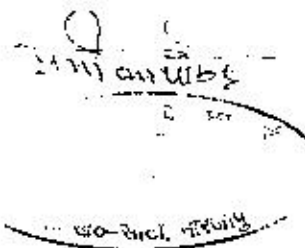
ग्राम बरकछा खुर्द तप्पा—84, परगना—कंति, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०—577 क्षेत्र—0.0026 हे० में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा खुर्द की आराजी नं०—577 में क्षेत्र—0.0026 हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा बरकछा खुर्द द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत वन विभाग की उक्त भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सभा, बरकछा खुर्द
मि० सीटी, मिर्जापुर


सचिव
ग्राम पंच. बरकछा खुर्द
मि० सीटी, मिर्जापुर